न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

A.B.P. No-632/2026

Singheshwar P.S. Case No.-31/2024

1. मो0 इमरान उर्फ इब्बु उम्र करीब 29 वर्ष पिता– स्व0 मो0 अनवर

(साकिन –सिंहेश्वर, वार्ड संख्या–04, थाना–सिंहेश्वर, जिला– मधेपुरा।)

.....अभियुक्त।

बनाम्

बिहार सरकार .....विपक्षी।

04-06-2026 जमानत आवेदन अभियुक्त **मो. इमरान** उर्फ **इब्बु** के द्वारा सिंहेश्वर थाना कांड संख्या–31/2024 अन्तर्गत धाराऐं 341, 323, 354(ए), 307, 504, 506/34 भा0द0वि0 में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किये जाने की संभावना से बचने हेतु दंड प्रकिया संहिता की धारा 438 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोतम प्रसाद यादव को दी जा चुकी है।

सूचिका थानाध्यक्ष सिंहेश्वर नाजनी खातुन के लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक–03.02.2024 शाम के करीब 07:15 बजे सूचिका अपने घर पर थी तभी मो0 शाविर उर्फ मेंटल, मेहनाज बेगम, मो0 ओवेश, मो0 इमरान उर्फ इब्बॉ, शहनाज प्रवीण, मो0 आरजु, कोमल प्रवीण, रेषमी प्रवीण, शैयदी खातुन सभी मिलकर लाठी, डंडा, हरवे–हथियार से लैस होकर उसके पति का नाम लेकर गाली देते हुए उसके घर में घुस गये। जब वह बोली क्या हुआ उतने में मो0 इमरान उर्फ इब्बु उसके पास आकर गाली देते हुए उसका दुपट्टा खींचकर उसे अर्द्धनग्न करने की कोशिश किया तथा उतने में मो0 शाबिर बोला देखते क्या हो नंगा कर दो क्योंकि उसका पति रंगदारी नही दिया है, तब तक उसके पति आये और बोले आप लोग मेरे घर में क्यों घुसे इसी पर मो0 शाबिर उर्फ मेंटल लोहे के रड से उसके पति के सर पर जान मारने की नियत से प्रहार किया जिससे उसके पति का सर फट गया और वे खुन से लथपथ हो गये इसी बीच मो0 इमरान एवं ओबेश तावर–तोड़ लाठी बरसाने लगा तथा मेहनाज बेगम उर्फ मन्नो पेट्रोल लेकर आई और चारो तरफ छींटकर आग लगाते हुए बोली कि आज घर समेत दोनो पति–पत्नी को जलाकर मार देगे क्योंकि ये सब नही मारेगा तो हमलोग का नाम सबको बता देगा तभी फिर शहनाज और कोमल बोली की उसी दोनो के कारण हमेशा झंझट होता है इसलिए इनको जान से मारने मे ही फायदा है। सूचिका काफी चिल्लाई तो इन लोगो के साथ आये 3–4 नाकाब पोष अज्ञात व्यक्ति हथियार लहराते हुए उसे खामोशी करने की कोशिश कर रहे थे किंतु उसकी आवाज सुन ग्रामीणों को आता देख सभी भाग गये। सूचिका के फर्द बयान के आधार पर नामजद अभियुक्त के विरूद्व सिंहेश्वर थाना कांड़ संख्या– 31/2024 अन्तर्गत धारा 341, 323, 354 ए, 307, 504, 506/34 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी ।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्र भुषण कुमार, के द्वारा यह अभिवाचित किया गया कि आवेदकगण पुर्णतः निर्दोष है तथा गंदी ग्रामीण राजनिति के कारण झूठे और मनगढत मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त की ओर इससे पूर्व नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में लंबित या

04-06-2026
लगातार.....

खारिज नहीं है। लगाये गये अभियोग की धारा अभियुक्त के विरूद्ध नहीं बनता है। भा०द०वि० की धारा 307 को छोड़कर अन्य सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति के है। इस वाद मे अभियुक्त के सह–अभियुक्त को पूर्व मे जमानत न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान किया गया है। आवेदक के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नही है। आवेदक अच्छे परिवार के सदस्य है उसके फरार होने की संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय को संतोषप्रद एवं पर्याप्त राशि का बंध–पत्र एवं प्रतिभू दाखिल करने के लिए तैयार है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले सभी शर्तो को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा दी जाय।

विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोत्तम यादव द्वारा जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति किया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरांत मेरे द्वारा प्राथमिकी, फर्द बयान मुल अभिलेख एवं कांड़ दैनिकी का अवलोकन किया। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त हैं। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि Victim Md. Aftab received abrasion of size 5 cm x 0.5 cm over the frontal region of head, the injury is simple in nature. Victim received injury over head due to assault by petitioner and others which could have been fatal with life taking intention on part of accused and others. I don't find this case fit for anticipatory bail. However petitioners are directed to surrender before the court below and seek regular bail within 15 days from the receipt of this order. The court below shall consider the regular bail application on its merit without being prejudiced by this order. Thus Anticipatory bail application 632/2026 is accordingly **Disposed off.**

Dictated

(Sanjeev Kumar-II)
District & Additional Sessions Judge-I
Madhepura